संख्या-122/2020/2970/22-2-2019-17(1004)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 मार्च 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर पुत्र श्री फौजदार प्रसाद निवासी जिला-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33635/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-26.09.2019 दिनांक 19.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर पुत्र श्री फौजदार प्रसाद जो-कूकापुर, थाना-जैतपुर, जनपद-आगरा का रहने वाला है। बंदी द्वारा साझे की फसल/गेहूँ की मडाई के विवाद को लेकर दिनांक 30.05.1978 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-51/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302, के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05 आगरा के आदेश दिनांक 30.08.1979 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2007 द्वारा यथावत रखा गया। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की रिहाई होने पर पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं होने, बंदी द्वारा कारित अपराध मानसिक प्रवृत्ति का होने, जघन्य अपराध कारित किये जाने, बंदी द्वारा जेल से भी भागकर कानून का उल्लघंन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी उमाशंकर (बंदी संख्या-17086) पुत्र श्री फौजदार प्रसाद, निवासी जनपद-आगरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-122/2020/2970(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in